52
03.02.18

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3/2016– परि0, दिनांक–

सूचना

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षे0 परि0 प्रा0, द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार परमिट से आवृत वाहन को प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परमिट पर वाहन प्रतिस्थापन अंकित करने से पूर्व प्रतिस्थापित किये जाने वाले वाहनों पर निम्नांकित यात्री संबंधी जानकारी का अंकन कराना आवश्यक है–

1. परमिट के अनुसार स्टेजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय–सारणी का वाहन पर अंकन (प्रवेश दरवाजे के पास बाहर की तरफ)।
2. 15 कि0ग्रा0 भार तक का सामान प्रति यात्री निःशूल्क ढ़ाये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग वॉडी के बायें तरफ पर बड़े–बड़े अक्षरों में साफ–साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन के आगे (विन्ड स्क्रीन के उपरी भाग में) एवं पीछे वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैद्यता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत प्राधिकार का नाम का अंकन।
5. वाहन में प्रथम चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) का संधारण।
6. महिलाऐं एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है का अंकन एवं संधारण।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर के नाम का अंकन। (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायत पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)।
9. परमिट के मार्ग में पड़ने वाले संबंधित थाना का नाम (मोबाईल नंबर सहित) वाहन के पीछे (बाहरी भाग) वाहन के रंग से अलग चमकीले रंग से अंकन।

क्रम सं0	वाहन स्वामी का नाम	परमिट से आच्छादित वाहन वाहन संख्या	परमिट संख्या	प्रतिस्थापित किये जाने वाले वाहन की संख्या
1	2	3	4	5
1	श्रीमती वीणा शाही	BR06D-8483	291/2014	BR06PC-9488
2	श्रीमती वीणा शाही	BR06D-9199	292/2014	BR06PC-9492
3	श्रीमती वीणा शाही	BR7P-9199	295/2014	BR06PC-9491
4	श्रीमती विदिशा शाही	BR7P-8483	296/2014	BR06PC-9484
5	श्री सुबोध कुमार	BR33P-4879	542/2014	BR06PA-4879
6	श्री संजीव कुमार	BR01PA-8885	266/2015	BR06PC-4424
7	श्री प्रमोद कुमार	BR06PPC-9851	83/2016	BR06PD-3551
8	श्री प्रमोद कुमार	BR06GC-5151	122/2016	BR06PD-3751

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8 (आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत स्वीकृत परमिट के निर्गमन पर विचार किया जा सके।

ह0/–
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3–/2016– 67 /परि0 दिनांक– 3/2/2018

प्रतिलिपि– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबधित वाहन स्वामियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,दरभंगा से अनुरोध है कि एन0आई0सी0,दरभंगा के बेबसाईट पर आर0टी0ए0 (Regional Transport Authority) लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

2.2.18

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।